**संलग्नक-2**

**फॉर्म आईपीआई**

(विनियम 4 देखें)

**भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति, जिसने संपर्क कार्यालय को छोड़कर भारत में शाखा, कार्यालय अथवा अन्य कारोबारी स्थान की स्थापना की है, द्वारा भारत में अर्जित अचल संपत्ति के संबंध में घोषणापत्र**

**अनुदेश :**

1. घोषणापत्र दो प्रतियों में पूर्ण किया जाना चाहिए तथा अचल संपत्ति अर्जित करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, (विदेशी निवेश प्रभाग), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई – 400001 को सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 21/2000-आरबी के विनियम 3 और 4 में निहित सामान्य अनुमति के अंतर्गत भारत से बाहर के निवासी किसी भारतीय नागरिक और भारत से बाहर के निवासी किसी भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) को भारत में अचल संपत्ति अर्जित करने के संबंध में यह फॉर्म प्रस्तुत नहीं करना है।

**प्रलेखन:**

फेमा, 1999 (1999 का 42) की धारा 6(6) के तहत प्राप्त किये गये रिज़र्व बैंक के अनुमोदन पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | अचल संपत्ति अर्जित करनेवाले का पूर्ण नाम तथा पता | | |
| 2 | (ए) | अचल संपत्ति का वर्णन | (ए) | |
| | (बी) | राज्य, शहर का नाम तथा म्युनिसिपल/सर्वे संख्या, आदि दर्शाते हुए उसके सही स्थान के ब्योरे | (बी) | |
| 3 | (ए) | अचल संपत्ति अर्जित करने का प्रयोजन | (ए) | |
| | (बी) | रिज़र्व बैंक की अनुमति की संख्या तथा तारीख, यदि कोई हो, | (बी) | |
| 4 | | अचल संपत्ति अर्जित करने की तारीख | | |
| 5 | (ए) | अचल संपत्ति कैसे अर्जित की गयी अर्थात् खरीद के रूप में अथवा पट्टे पर | (ए) | |
| | (बी) | विक्रेता / पट्टाकर्ता का नाम, नागरिकता तथा पता | (बी) | |
| | (सी) | खरीद मूल्य की राशि तथा निधियों के स्रोत | (सी) | |

मैं/ हम एतद्वारा घोषित करता हूँ/ करते हैं कि

(ए) उपर्युक्त में दिये गये ब्योरे मेरी/ हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं;

(बी) उपर्युक्त संपत्ति का कोई भाग पट्टे पर/ भाड़े पर नहीं दिया गया है अथवा अन्यथा किसी अन्य पार्टी द्वारा उपयोग किये जाने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है।

अनुलग्नक:

------------------------

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर

स्थान:----

दिनांक------

नाम:-------------------

पदनाम:----------------

---